न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/95 दायर दिनांक 20.04.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र खेमाराम, 2. राजेन्द्र कुमार पुत्र खेमाराम, 3. नानूराम पुत्र खेमाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान सरदारपुरा खुर्द, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. भागुराम पुत्र खेमाराम, 2. सन्तोष पुत्री खेमाराम, 3. नारायणी देवी पत्नि खेमाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान सरदारपुरा खुर्द, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 4. मैनेजर, जयपुर थार ग्रामिण बैंक नूवां, तहसील डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित—

1. श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादीगण की ओर से।

—:: अंतिम डिक्री निर्णय ::— दिनांक :— 29.09.2017

वाद के संक्षेम में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 374/126 रकबा 19.10 बीघा वाके सरदारपुरा खुर्द स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादीगण के पिता के नाम से राजस्व रेकर्ड में स्थित है, वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 चारो सगे भाई है, तथा प्रतिवादी नम्बर 02 वादीगण की बहिन व प्रतिवादी नम्बर 03 नारायणी वादीगण की माता है, वादीगण स्वर्गीय खेमाराम के जायन्दा पुत्र है, जिनका स्वर्गवास दिनॉक 27.03.2017 को हो चुका है। वादीगण के पिता का नाम खेमाराम है, लेकिन सहव से राजस्व रेकर्ड में खेमाराम के बजाय खिंवाराम पुत्र भैराराम दर्ज हो गया, जबकि खेमाराम पुत्र भैराराम नाम दर्ज होना चाहिए था, शूरू से लेकर आज तक वादीगण के पिता का नाम उसके राशन कार्ड पहचान पत्र, आधार कार्ड आदी में भी खेमाराम पुत्र भैराराम दर्ज है। वादीगण के पिता के नाम के गलत अंकन की दुरूस्ती की जानी न्याय संगत है। तथा राजस्व रेकर्ड में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के नाम से उक्त खेत की खातेदारी की धोषणा की जाना न्यायहित में है। वादीगण उक्त खेत की खातेदारी की घोषणा व राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन की दुरूस्ती करवाने के जायज हकदार है, अतः वादीगण को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

पृष्ठ संख्या ......2...... लगातार

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 04 स्वयं हाजिर अदालत आया, जिससे वादी ने कोई सहायता नहीं चाही हैं।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का pw-1 नानुराम का शपथ पत्र पेश किया, दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल प्रदर्श –1, खेमाराम का आधार कार्ड प्रदर्श –2, परिवार कार्ड प्रदर्श –3, निर्वाचन कार्ड प्रदर्श –4, खेमाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श –05 पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई सारगर्भित बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

अधिवक्ता वादीगण, अपने वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता ।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद सरदारपुरा खुर्द में स्थित खेत खसरा संख्या 74/126 रकबा 19.10 बीघा भूमि में खातेदार खिंवाराम पुत्र भैराराम की जगह खेमाराम पुत्र राराम, किया जाता है तथा उक्त खेत की खातेदारी मृतक खेमाराम के वारिसान वादीगण व तिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम से घोषित की जाती है, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **09.06.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

दायर दिनांक 20.04.2017

राजस्व वाद संख्या: 2017/95

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र खेमाराम, 2. राजेन्द्र पुत्र खेमाराम, 3. नानूराम पुत्र खेमाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान सरदारपुरा खुर्द, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	**बनाम**	1. भागुराम पुत्र खेमाराम, 2. सन्तोष पुत्री खेमाराम, 3. नारायणी देवी पत्नि खेमाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान सरदारपुरा खुर्द, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 4. मैनेजर, जयपुर थार ग्रामिण बैंक नूंवा, तहसील डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88, 136 R.T.Act.

दिनांक :– 29.09.2017

यह मुकद्दमा आज ववास्स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा सरदारपुरा खुर्द में स्थित खेत खसरा संख्या 374/126 रकबा 19.10 बीघा भूमि में खातेदार खिंवाराम पुत्र भैराराम की जगह खेमाराम पुत्र भैराराम किया जाता है तथा उक्त खेत की खातेदारी मृतक खेमाराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम से घोषित की जाती है, तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बाबत.............–.............

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.09.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बांबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner